न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 104 / 2017 राजस्व अपील

1. रामलाल उर्फ रंगलाल पुत्र हरसहाय जाति माली निवासी गढ तहसील सिकराय जिला दौसा

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार सिकराय जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय नायब तहसीलदार बहरावण्डा दिनांक 21.09.2015 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम रामलाल उर्फ रंगलाल मु.न. 235 / 2015 अ.धारा 91 रा.भू.रा. अधि.

उपस्थिति : श्री पदम सिंह गुर्जर, अधिवक्ता अपीलान्ट उप0।
: राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

:– निर्णय :– दिनांक: 14.02.2018

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि अपीलान्ट अतिक्रमी द्वारा ग्राम गढ तहसील सिकराय में स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नंबर 784 / 746 रकबा 0.18 है0 पर निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया है तथा अतिक्रमी का भूमि पर कब्जा पश्चातवर्ती है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 21.09.2015 को बेदखल कर 50 गुणा शास्ति कायम के साथ ही 30 दिवस के सिविल कारावास की सजा से भी दण्डित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 21.09.2015 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय विधि विरूद्ध एवं प्रक्रिया नियमों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई जांच किये बिना अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये व बिना पटवारी हल्का से जिरह का अवसर दिये बिना व बिना कोई अन्य कोई स्वतंत्र साक्ष्य लिए पटवारी हल्का की रिपोर्ट को सही मानकर निर्णय पारित किया है। निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। अपीलान्ट के पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने से संबंधित कोई दस्तावेजात पत्रावली में उपलब्ध नही है। अपीलान्ट का किसी चरागाह भूमि पर अतिक्रमण नही है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर प्रश्नगत निर्णय खारिज फरमाया जावे।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्ट अतिक्रमी द्वारा ग्राम गढ तहसील सिकराय में स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नंबर 784/746 रकबा 0.18 है0 पर अतिक्रमण करने पर अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिकमी को अतिकमित आराजी से दिनांक 21.09.2015 को बेदखल कर 50 गुणा शास्ति कायम के साथ ही 30 दिवस के सिविल कारावास की सजा से भी दण्डित किया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध भू.राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर उक्त प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया की अपीलान्ट को बिना सुनवाई व सबूत का अवसर दिये ही प्रश्नगत निर्णय दिनांक 21.09.2015 अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित कर दिया गया। ऐसी स्थिति में प्रकरण नायब तहसीलदार बहरावण्डा को रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते है।

अति० जिला कलक्टर
दौसा

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा प्रकरण में पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 21.09.2015 को निरस्त किया जाकर प्रकरण नायब तहसीलदार बहरावण्डा को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वास्तविक अतिक्रमी को सुनवाई व सबूत का अवसर दिया जाकर विधिक प्रकिया का पालन करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा
दौसा

निर्णय आज दिनांक 14.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा
दौसा